(265)

पारि० 01

(155)

(35)

आदेश द्वारा श्री रामप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/03 रायपुर, दिनांक 04/03/2015

हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वर्ष 2015—16 एवं आगामी वर्षों में पौधा क्रय हेतु निविदा द्वारा क्रय प्रक्रिया/निविदा शर्तों के निर्धारण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छ0ग0 रायपुर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) | — | अध्यक्ष |
| 2. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) | — | सदस्य |
| 3. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.) | — | सदस्य |
| 4. | मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) | — | सदस्य |
| 5. | मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त | — | सदस्य |
| 6. | मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वन वृत्त | — | सदस्य |
| 7. | मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वन वृत्त | — | सदस्य |
| 8. | संचालक, (वित्त/बजट) | — | सदस्य सचिव |

उपरोक्तानुसार गठित समिति अपना प्रतिवेदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 15.03.2015 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप पौधा क्रय हेतु निविदा द्वारा क्रय प्रक्रिया/निविदा शर्तों के अनुसार वर्ष 2015—16 एवं आगामी वर्षों में नियमानुसार पौधा क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 04/3/15
(रामप्रकाश)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/ 355 रायपुर, दिनांक 04/03/2015

प्रतिलिपि :—

1.प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2.अ.प्र.मु.व.सं. (कैम्पा)/ अ.प्र.मु.व.सं. (उत्पादन) / अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा.अराज.) / मु.व.सं. सरगुजा/दुर्ग/कांकेर वन वृत्त/संचालक (वित्त/बजट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, छ0ग0(सरगुजा/दुर्ग/कांकेर वन वृत्त को छोड़कर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित। निर्धारित क्रय प्रक्रिया/शर्तों के अनुमोदन होने तक पौधा क्रय के संबंध में कोई आगामी कार्यवाही प्रारंभ न की जाये।

(हस्ताक्षर) 04/3/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर

(266)

परि. 02

154

105

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़,

अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़, रायपुर (छ0ग0)

(शाखा – वित्त/बजट)

दिनांक 23-04-2015

विषय :– क्लोनल पौधों के क्रय हेतु प्रक्रिया निर्धारण हेतु गठित समिति की दिनांक 21.04.2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

——00——

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ0ग0 रायपुर द्वारा गठित विषयांकित समिति की बैठक दिनांक 21.04.2015 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छ0ग0 रायपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें सम्मिलित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–01 में संलग्न है।

2. बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया :–

(1) <u>क्लोनल पौधों के परीक्षण/सत्यापन हेतु संचालक, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर के प्रस्ताव पर चर्चा :–</u>

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर के आदेश क्र./03, दिनांक 04.03.2015 के द्वारा गठित विषयांकित समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 24.03.2015 की कंडिका 02 के अनुसार सफल निविदाकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये नीलगिरी के क्लोनल पौधों का सत्यापन टी.एफ.आर.आई. जबलपुर, म.प्र. /इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों/किसी अन्य स्थापित एजेंसी से कराये जाने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है। फलस्वरूप पौधों के परीक्षण हेतु एजेंसी की नियुक्ति हेतु, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सक्षम पदाधिकारियों से चर्चा की गई, परन्तु यह कार्य वृहद् स्वरूप का होने तथा कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, उनके द्वारा इस कार्य को किये जाने मे असमर्थता व्यक्त की गई। साथ ही समिति के अध्यक्ष, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छ0ग0 रायुपर के द्वारा निदेशक, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर से दूरभाष पर चर्चा की गई। निदेशक, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अतः इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक/अनु.एवंवि./447, दिनांक 26.03.2015 के माध्यम से श्री यू. प्रकाशम, निदेशक, टी.एफ.आर.आई. जबलपुर, म.प्र. से छ0ग0 राज्य के अंतर्गत स्थित 03 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, हेतु वनमंडलवार सुटेबल क्लोन्स की जानकारी तथा हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में निविदा द्वारा क्रय किये गये नीलगिरी क्लोनल पौधो के सत्यापन/परीक्षण के संबंध में चाही गई जानकारी/प्रस्ताव दिनांक 05.04 2015 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

2/1

- समिति द्वारा टी.एफ.आर.आई., जबलपुर तथा विभिन्न वृत्तों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नानुसार क्लोन्स के क्रय करने की अनुशंसा की गई है :–

| अनु.क्र. | क्लोन क्रमांक |
|---|---|
| 1. | 07 |
| 2. | 288 |
| 3. | 413 |
| 4. | 526 |
| 5. | 405 |
| 6. | 407 |
| 7. | 411 |
| 8. | 2045 |

| अनु.क्रं. | क्लोन क्रमांक |
|---|---|
| 9. | 2188 |
| 10. | 3009 |
| 11. | 316 |
| 12. | 52 |
| 13. | 03 |
| 14. | 10 |
| 15. | 71 |

क्षेत्रीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, के आधार पर क्रय किये जाने वाले क्लोन्स का निर्णय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।

(2) क्लोन्स सत्यापन/परीक्षण हेतु वित्तीय व्यय का निर्धारण :–

निदेशक, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर, मध्यप्रदेश के द्वारा निविदा द्वारा क्रय क्लोन्स के सत्यापन हेतु वित्तीय प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :–

An amount of around Rs. **4.00 Lakhs (Rupees Four lakhs only)** will be required by the T.F.R.I. Jabalpur towards payment of clonal fidelity test of 10 clones, which includes cost of chemicals, consumables and other expenses.

चर्चा उपरान्त समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि उपरोक्त दर पर क्लोनल नीलगिरी के कुल क्रय मूल्य का 2.5 प्रतिशत की राशि की सीमा तक प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), क्लोन्स की गुणवत्ता का सत्यापन टी.एफ.आर.आई. जबलपुर से कराये तथा गुणवत्ता के सत्यापन के पश्चात् ही संबंधित विक्रेता को क्लोन्स के मूल्य का भुगतान किया जाये। क्लोन्स के सत्यापन तथा क्लोन्स के सैम्पल कलेक्शन की प्रक्रिया का निर्धारण तथा संचालन संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का अहम दायित्व होगा। सैम्पल कलेक्शन, संबंधित वनमंडलाधिकारी के समक्ष होगा तथा इसका 01 पंचनामा अनिवार्य रूप से तैयार किया जायेगा।

- मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) छ.ग. रायपुर के उक्त पत्र क्रमांक/447, दिनांक 26.03.2015 के अनुक्रम में डॉ. यू. प्रकाशम, निदेशक, टी.एफ.आर.आई. जबलपुर, म.प्र. के द्वारा उनके पत्र क्र./टी.एफ.आर.आई. /जे.बी.पी./2015/29–8/48, दिनांक 13.04.2015 के द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया गया :–

(I) TFRI has neither conducted any field survey for suitability of Eucalyptus clones nor raised any plantations of Eucalyptus clone in Chhattisgarh. Hence, it is difficult to recommend suitability of Eucalyptus clones for Chhattisgarh as desired vide letter under reference. However, the suggestions received from the expert on this matter, some of the clones viz., 7,288, 413, 526, 405, 407, 411, 2045, 2188, 3009 **are recommended as suitable clones for field plantation in three agroclimatic zones of Chhattisgarh.**

(II) The verification of clonal materials supplied by the firm may not be possible in the **field** in **seedling** stage. However, the fidelity/genetic purity of clonal materials may be confirmed by **DNA markers** in laboratory condition. This will confirm the genetic uniformity of rametes of clones. Ten randomly chosen ramets per clone will be checked for genetic purity. Further, the source (origin) of these ramets can be confirmed by matching with the DNA of mother plants which **should be provided** to the institute to confirm the relationship of the **clonal planting** materials with particular clone.

(III) An amount of around Rs. 4.00 Lakhs (rupees Four lakhs only) will be required towards payment of clonal fidelity test of 10 clones, which includes cost of chemicals, consumables and other expenses.

- समिति की बैठक दिनांक 21.04.2015 को निदेशक, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर, म.प्र. से प्राप्त जानकारी के आधार पर छ0ग0 राज्य के 03 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए सुटेबल क्लोन्स का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार क्लोन क्र. 07, 288, 413, 526, 405, 407, 411, 2045, 2188, 3009, छ0ग राज्य हेतु सुटेबल पाये गये हैं।
- इसके साथ प्रदेश के विभिन्न वृत्तों से कराये गये रोपणों की सफलता के आधार पर क्लोन्स की जानकारी प्राप्त की गई, जो कि निम्नानुसार है :–

| अनु क्र. | प्राप्त जानकारी का स्त्रोत | सुटेबल क्लोन्स का क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर | 52, 413, 316 |
| 2. | वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल | 03, 07, 288, 316, 413, 526 |
| 3. | वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर | 52 |
| 4. | वनमंडलाधिकारी अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, बिलासपुर | 03, 07, 71, 10 |
| 5. | मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त | 07, 316, 413 |
| 6. | मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त | 07, 316, 413 तथा रेतीली भूमि पर 288 |

## परिशिष्ट – 01

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छ०ग० रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2015 को आयोजित विषयांकित समिति की बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. श्री बी.के. सिन्हा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) — अध्यक्ष
2. श्री आर.के. टम्टा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) — सदस्य
3. श्री कौशलेन्द्र सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन अराज.) — सदस्य
4. श्री जयसिंह म्हस्के, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) — सदस्य
5. श्री व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग — सदस्य
6. श्री ए.के. झा, संचालक (बजट) — सदस्य सचिव

270



157

115

116

(3) निविदा तिथि का निर्धारण :–

प्रदेश में एकरूपता तथा वृहद् पार्टिसिपेशन हेतु वृत्तवार निविदा आमंत्रण की सम्भावित तिथि का निर्धारण वृत्तवार निम्नानुसार किया जाना समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है :–

| अनु क्र. | वृत्त का नाम | प्रथम निविदा | | द्वितीय निविदा | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तकनीकि बिड का लिफाफा खोले जाने की तिथि | वृत्तीय बिड का लिफाफा खोले जाने की तिथि | तकनीकि बिड का लिफाफा खोले जाने की तिथि | वृत्तीय बिड का लिफाफा खोले जाने की तिथि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | दुर्ग, वन वृत्त | 25.05.2015 | 26.05.2015 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | प्रथम निविदा में किसी निविदाकार के सफल नहीं होने पर आगामी तिथियों में द्वितीय एवं आवश्यकतानुसार तृतीय एवं अन्य निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी। |
| 2 | जगदलपुर वन वृत्त | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 12.06.2015 | |
| 3 | कांकेर वन वृत्त | 29.05.2015 | 30.05.2015 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | |
| 4 | रायपुर वन वृत्त | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | |
| 5 | बिलासपुर वन वृत्त | 04.06.2015 | 05.06.2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | |
| 6 | सरगुजा वन वृत्त | 06.06.2015 | 08.06.2015 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | |

23/4/15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री बी.के. सिन्हा<br>अध्यक्ष/अ.प्र.मु.व.सं<br>(कैम्पा) | श्री आर.के. टम्टा,<br>सदस्य/अ.प्र.मु.व.सं<br>(उत्पादन) | श्री कौशलेन्द्र सिंह,<br>सदस्य/अ.प्र.मु.व.सं<br>(प्रशासन अराज.) | श्री जयसिंह म्हस्के,<br>सदस्य/मु.व.सं.<br>(अनु0 एवं वि0) | श्री टी. श्रीनिवास राव<br>सदस्य/मु.व.सं. दुर्ग | श्री ए.के. शर्<br>सदस्य सचिव<br>संचालक (उत्पा |